RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय:उद्योग भवन,तिलक मार्ग,सी–स्कीम,जयपुर
H.O.: Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme,
JAIPUR-302005
E-mail:pa@rfc.rajasthan.gov.in

क्रमांक आरएफसी/पीए–24 (9)/491 दिनांक 23.06.2017

आदेश
(का एवं प्र-605)

विषय : मकान किराया भत्ता

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 योगेश शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.12.2016 की अनुपालना में एवं राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2017 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में निगम द्वारा दिनांक 14.02.2017 को निर्देश जारी किये गये थे कि राजकीय सेवा में सेवारत पति–पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं तथा एक ही मकान में रहते हों तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे । यह आदेश माह जनवरी 2017 के वेतन से प्रभावी किया गया था ।

उपरोक्त संदर्भित जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 की पालना में एवं राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.06.2017 की पालना में निगम द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.02.2017 को प्रत्याहारित (withdraw) किया जाता है ।

आदेश दिनांक 14.02.2017 की पालना में जिन राजकीय/निगम अधिकारियों/कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता का भुगतान माह जनवरी 2017 से रोका गया है, का एरियर निगम के मकान किराया भत्ता नियम के प्रावधानानुसार देय होगा

(अनूप खींची)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:

1. समस्त शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम ।
2. मुख्यालय में मानक परिचालन ।
3. निजी सहायक प्रबन्धक निदेशक/कार्यकारी निदेशक